बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक____________________ पटना, दिनांक_____________

ग्रा0वि0- 7 (आ0)- 39/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय:- **जमीन्दारी बाँधों (लघु बाँधों) के सुदृढ़ीकरण के संबंध में ।**

महाशय,

जमीन्दारी बाँधों (लघु बाँधों) के सुदृढ़ीकरण के संबंध में 26-7-13 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

2- लघु बाँधों के सुदृढ़ीकरण का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत अनुमान्य है । इस दृष्टिकोण से सभी जमींदारी बाँधों (लघु बांधों) का कार्य मनरेगा की विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत कराने हेतु जल संसाधन विभाग के स्तर से प्राप्त हुई लघु बाँधों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

3- जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा इन बाँधों का तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाएगा जिसमें प्राक्कलन बनाने एवं तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी होगी।

4- इन लघु बांधों का निर्माण कार्य मनरेगा के अन्तर्गत जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से कराया जाएगा। यह परामर्श है कि जिन जमीन्दारी बाँधों का विस्तार अंतर पंचायत है, उन पर कार्य पंचायत समिति अथवा अन्य जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी प्रकार जिन जमीन्दारी बाँधों का विस्तार अंतर प्रखंड है, उन पर कार्य जिला परिषद् या अन्य जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कराया जाय ।

5- जिन लघु बाँधों का कार्य पूर्व में जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है उनमें किसी प्रकार का कार्य मनरेगा से नहीं किया जाएगा । मनरेगा अन्तर्गत उन्हीं बांधों का काम होगा जिनमें जल संसाधन विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

6- जमींदारी बाँधों (लघु बांधों) का सुदृढ़ीकरण जल संचयन के लिए अत्यन्त उपयोगी है, अत: तदनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य कराने की अग्रेतर कार्रवाई की जाए । 2 अक्टूबर को होनेवाली ग्राम सभा की बैठकों में इसे पारित कराया जाए ।

7- उप विकास आयुक्तों की साप्ताहिक video conferencing में इसे एक कार्य बिन्दु के रूप में शामिल किया जा रहा है । तदनुसार विभाग के स्तर से सामयिक समीक्षा की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अमृत लाल मीणा)

सचिव

ज्ञापांक 1623/4 पटना, दिनांक- 09/09/2013

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा करेगें ।

9.9.13

सचिव

Atul Sir. Letter. No-491